फर्द अहकाम

कार्यालयः— न्यायालय जिला कलक्टर, उदयपुर
अपीलार्थीः— भरत कुमार पूर्बिया बनाम सरकार
किस्म मुकदमाः— विविध पत्रावली संख्याः— 09/24 सनः— 2024

कमांक	कार्यवाही विवरण	हस्ताक्षर पार्टी तथा सुचनाएँ जारी की गई।
	16/7/24 पत्रावली पेश हुई। अधिवक्ता अपीलाण्ट उपस्थित। राजकीय पेरोकार उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। हस्तगत अपील अपीलार्थी द्वारा अध्यक्ष/सदस्यगण बाल कल्याण समिति उदयपुर राजस्थान के आदेश क्रमांक 45 दिनांक 08.01.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है। आलोच्य आदेश दिनांक 08.01.2024 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रत्यर्थी ने जिस आदेश के विरूद्ध अपील की है उसमें प्रवर्तनशील भाग में यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी लवीना विकास संस्थान में प्रवेशित समस्त बालको को सुरक्षा की दृष्टि से एवं जांच पुरी होने तक गृह में रखना उचित नहीं है अतः लवीना विकास संस्थान (ओपन शेल्टर होम) में प्रवेशित सभी बच्चो की सुरक्षा एवं सर्वोतम हित को ध्यान मे रखते हुए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करे। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश से प्रतीत होता है कि उक्त आदेश एक प्रशासनिक आदेश है एवं उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलार्थी ने यह अपील ज्यूवेनाईल जस्टीस एक्ट 2015 की धारा 101 का अवलम्ब लेते हुए प्रस्तुत की है। विधि के उक्त प्रावधान अर्थात धारा 101 का तथ्यों एवं विधि के परिपेक्ष्य में अवलोकन करने एवं अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों का पठन करने से प्रतीत होता है कि हस्तगत अपील जिस आदेश के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है वह विधि के इस प्रावधान के तहत पोषणीय नहीं है क्योंकि ऐसा आलोच्य आदेश न तो अंतिम श्रेणी का है ना ही इस न्यायालय के श्रवणाधिकार क्षेत्र का है। हस्तगत प्रकरण में बालकों की उचित अभिरक्षा के लिए बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने का ही अंकन है तथा इस आदेश से अपीलार्थी किस प्रकार व्यथित है तथा किस प्रकार इस आदेश में विधिक या तथ्यात्मक त्रुटि है उसका कोई अंकन नहीं है। बालकों को बाल कल्याण समिति के समक्ष प्रस्तुत करने मात्र के आदेश को विधि के इस प्रावधान में चुनौती दिया जाना कही पर भी किसी विधि के अग्रेषण में इस न्यायालय द्वारा श्रवण योग्य नहीं पाया जाता है। जहां तक आलौच्य आदेश का प्रश्न है तो ऐसा आदेश प्रशासनिक आदेश होने के कारण इसे इस न्यायालय के समक्ष चुनौती दिया जाना एवं इस आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय द्वारा अपील सुना जाना पोषणीय नहीं है। हम राजकीय अधिवक्ता के इस तर्क से सहमत है कि यदि कोई प्रशासनिक आदेश	

जिला कलक्टर
उदयपुर

है और उससे कोई व्यक्ति या संस्था व्यथित है तो उसे सम्यक रिट याचिका द्वारा ही चुनौती दी जा सकती है। हस्तगत अपील लवीना विकास संस्थान की संस्थानिक हैसियत से प्रस्तुत ना होकर भरत कुमार पुर्बिया द्वारा अपने आपको निदेशक लवीना विकास संस्थान बताते हुए पेश की गई है जबकि आलौच्य आदेश लवीना विकास संस्थान के विरूद्ध पारित किया गया है। अपील का शीर्षक को देखने से यह अपील लवीना विकास संस्थान के बजाय भरत पूर्बिया द्वारा प्रस्तुत किया जाना प्रकट है एवं राजकीय अधिवक्ता द्वारा इस अपील के बारे में विरोध प्रकट कर तर्क दिया गया है कि उक्त अपील सम्यक रूप से उचित प्रारूप में प्रस्तुत नहीं है ना ही अपील प्रस्तुतकर्ता द्वारा संस्था की सील ही अंकित की गई है ऐसे में यह अपील त्रुटिग्रस्त है। अपीलार्थी के समक्ष विभिन्न रिट याचिका के विकल्प उपलब्ध होते हुए भी उसने यह अपील किस आधार पर इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है यह न तो अपील मेमो ना ही अपीलार्थी के तर्को से स्पष्ट होता है। अपीलार्थी द्वारा न्यायालय के समाधान हेतु कोई न्यायिक दृष्टांत या सम्यक विधि भी प्रस्तुत नहीं की गई है। किशोर न्याय (बालको की देखरेख) अधिनियम 2015 की धारा 101 में निम्न प्रावधान हैः (1) subject to the provision of this act, any person aggrieved by an order made by the Committee or the Board under this act may, within thirty days from the date of such order, prefer an appeal to the childrens court, except for decisions by the Committee related to foster care and sponsorship after care for which the appeal shall lie with the District Magistrate". स्पष्ट है कि समिति द्वारा पोषण, देखरेख और प्रवर्तकता पश्च् देखरेख संबंधी विनिश्चयों (foster care and sponsorship after care) के संबंध में जारी आदेश के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार इस न्यायालय को है। हस्तगत प्रकरण में समिति द्वारा पोषण, देखरेख और प्रवर्तकता पश्च् देखरेख संबंधी विनिश्चयों (foster care and sponsorship after care) के संबंध में जारी किसी आदेश के विरूद्ध अपील नहीं की जाकर बाल कल्याण समिति के आदेश दिनांक 08.01.2024 के विरूद्ध अपील की गई है जो कि एक प्रशासनिक आदेश है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के विरूद्ध अपील सुनने का क्षेत्राधिकार अपीलीय न्यायालय रखता है इस प्रकरण में कोई निर्णय नही होकर केवल मात्र प्रशासनिक आदेश है, जिसकी सुनवाई का अधिकार इस न्यायालय को नही होने से क्षेत्राधिकार के बिन्दु पर अपील खारिज की जाती है। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

(अरविन्द कुमार पोसवाल)
जिला कलक्टर
उदयपुर